संख्या- 92 /2019 / 697 /चार-2019-59 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4535/सं0नि0-6 (कबीर अकादमी)/2018-19 दिनांक 08 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2359.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 500.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक - 4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -44-संत कबीर अकादमी की स्थापना 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 92 /2019/ 697 /चार-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , नीलिगिरी काम्पलेक्स इन्दिरानगर लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/